मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

इंदौर

पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री अजय सिंह के वक्तव्य के संदर्भ में वस्तुस्थिति

दिनांक 20.04.2016 तथा 21.04.2016 के दैनिक समाचार पत्रों में पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री अजय सिंह का वक्तव्य प्रकाशित हुआ है जिसमें उन्होंने आयोग के अध्यक्ष की साक्षात्कार के कुछ दिवसों में अनुपस्थिति के आधार पर आयोग के ऊपर भाई-भतीजावाद तथा भ्रष्टाचार के आरोप लगाए है।

आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा के साक्षात्कार पूर्ण निष्पक्षता से तथा सत्यनिष्ठा से संपादित किए जा रहे है। अभ्यर्थियों तथा जनसामान्य के मध्य पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री अजय सिंह के वक्तव्य से किसी भ्रम की स्थिति न बने इस हेतु वस्तुस्थिति निम्नानुसार स्पष्ट की जाती है:-

(1) दिनांक 31.03.2016 को माननीय अध्यक्ष महोदय का स्वास्थ्य अचानक खराब होने (डिहाइड्रेशन) के कारण उन्हें चिकित्सालय में भर्ती होना पड़ा। वे दिनांक 03.04.2016 तक चिकित्सालय में भर्ती रहे तथा स्वास्थ्य में सुधार होते ही दिनांक 04.04.2016 से माननीय अध्यक्ष पुन: अपने कर्तव्य पर उपस्थित हो गए है।

(2) चूंकि विषय विशेषज्ञों तथा अभ्यर्थियों का समस्त तैयारियों के साथ साक्षात्कार हेतु इंदौर आगमन हो चुका था तथा साक्षात्कार का स्थगन अभ्यर्थियों तथा विशेषज्ञों हेतु अत्यंत असुविधाजनक होता अत: आयोग द्वारा साक्षात्कार स्थगित न करने का निर्णय लिया गया है।

(3) आयोग द्वारा माननीय अध्यक्ष की अस्वस्थता अवधि में चूंकि केवल एक सदस्य उपलब्ध थे अत: दोनों बोर्ड को समानान्तर संचालन के बजाय प्रथम बोर्ड के अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के बाद द्वितीय बोर्ड प्रारम्भ किया गया तथा द्वितीय बोर्ड के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया। दोनों बोर्डों के विषय विशेषज्ञ अलग-अलग थे केवल उन बोर्डों की अध्यक्षता आयोग के एकमात्र उपलब्ध सदस्य द्वारा की गयी।

अत: स्पष्ट है कि आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु अतिरिक्त समय तक (प्रात: 9:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक) कार्य सम्पादन कर अपने संवैधानिक दायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया गया है।

Vau

उप सचिव